म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क./मु.क.प्याज.प्रो./03/2019/3949 भोपाल, दिनांक 31/05/ 2019

प्रति

संयुक्त/उप संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय– ..... (समस्त)

भारसाधक अधिकारी/सचिव
कृषि उपज मंडी समिति – .....
जिला – ..... (समस्त)

विषय :– मुख्यमंत्री कृषक प्याज प्रोत्साहन योजना के समेकित दिशा–निर्देश के संबंध में।

संदर्भ :– म.प्र. शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय भोपाल का ज्ञाप कमांक एफ 6–1/2018/58 भोपाल दिनांक 30.05.2019

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के समसंख्यक ज्ञाप कमांक दिनांक 30.03.2019 से मुख्यमंत्री कृषक प्याज प्रोत्साहन योजना के निर्देश जारी किये गये थे, संदर्भित ज्ञाप अंतर्गत को संशोधित करते हुए विस्तृत दिशा–निर्देशा जारी किये गये है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

संदर्भित ज्ञाप में मंडी समितियों के लिए मुख्य निर्देश निम्नांकित है :–

1. प्रदेश में वर्ष 2019–20 में रबी प्याज उत्पादक किसानों को ई–उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन दिनांक 20 मई 2019 से 31 मई 2019 तक की समय सीमा को बढ़ाकर पंजीयन की अंतिम तिथि 07 जून 2019 निर्धारित की गई है।

2. योजनांतर्गत मंडी में प्याज के विकय संव्यवहार हेतु विकय अवधि दिनांक 01जून 2019 से 30 जून 2019 निर्धारित है।

3. प्याज विकय हेतु मध्यप्रदेश के मूल निवासी, किसान के नाम पर स्वयं की जमीन (बी–1,बी–2 में नाम होने एवं वन पट्टाधारी भी मान होगा। (सिकमी/अनुबंध/लीज के आधार पर किराये पर ली गई दस्तावेज मान्य नही होगें।)

4. योजना का लाभ 250 क्विंटल प्रति हैक्टेयर की औसत उत्पादकता के आधार पर उत्पादन की सीमा तथा उत्पादन का रकबा 2.00 हैक्टेयर या जो भी कम हो तक प्रति कृषक ही अंतर की राशि देय होगा।

5. योजना के अंतर्गत अधिसूचित मंडियों में उन्ही किसानों से प्याज खरीदी की जायेगी, जो ई–उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत होगे।

6. पंजीकृत किसानों द्वारा मंडी में प्याज के संव्यवहार पर विकय की राशि रूपयें 10000/– से अधिक होने पर भुगतान RTGS/NEFT से अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी द्वारा किसान के बैंक खाते में किया जाना होगा।

7. पंजीकृत किसान के द्वारा नियत अवधि में कय–विकय के अभिलेखों का परीक्षण तथा सत्यापन कर प्रमाणित जानकारी पोर्टल पर अपलोड किये जाने की जिम्मेदारी संबंधित मंडी सचिव तथा संबंधित कर्मचारियों की होगी।

8. प्रत्येक अधिसूचित मंडी प्रांगण में योजना के पंजीकृत किसान द्वारा प्याज विकय पर योजना के प्रावधानों के अधीन लाभ प्राप्त होने संबंधित प्रमाण–पत्र किसान को उपलब्ध कराया जावेगा। यह प्रमाण–पत्र उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा,

Scanned by CamScanner

जिसमें रिक्त स्थानों की विक्रय उपरांत पूर्ति मंडी स्तर पर की जाकर सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा।

9. योजनांतर्गत पंजीकृत कृषक अधिसूचित फसल प्याज को किसी भी अधिसूचित मंडी/उपमंडी/प्रांगण में विक्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा, परन्तु किसानों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान उसी जिले से किया जायेगा, जिस जिले में कृषक का पंजीयन है।

10. मंडी सचिव अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को योजना की जानकारी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

11. योजना के लिए चयनित मंडियों में उद्यानिकी विभाग का एक नोडल अधिकारी पदस्थ रहेगा, जिसके द्वारा संबंधित प्रांगण में पंजीकृत किसानों की भौतिक आवक एवं विक्रय संव्यवहारों का पर्यवेक्षण एवं सत्यापन किया जायेगा। मंडी सचिव प्याज के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों का खरीदी के पूर्व उनके पास उपलब्ध प्याज के स्कंध का भौतिक सत्यापन आवश्यक रूप से कराकर रिकार्ड में रखें।

12. संदर्भित ज्ञाप के बिन्दु कमांक 05 के दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। सौदा पत्रक के माध्यम से विक्रय की गयी प्याज योजनांतर्गत मान्य नही होगी।

अतः संदर्भित ज्ञाप दिनांक 30.05.2019 की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न, योजना के कियान्वयन के संबंध में इस कार्यालय एवं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त दिशा–निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें। आंचलिक संयुक्त/उप संचालक योजना के कियान्वयन का सतत् समीक्षा, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करें। किसी प्रकार की विसंगति एवं अनियमितता प्रकाश में आने पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए मुख्यालय का तत्काल अवगत करायेगें।
संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क./मु.क.प्याज.प्रो./03/2019/3950 भोपाल, दिनांक 31/05/2019
प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2 प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग भोपाल।
4. जिला कलेक्टर (समस्त) – ..... ।
5. अपर संचालक (नियमन), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के **बिन्दु कमांक 2.10** में प्याज पर दिये जाने वाले मंडी शुल्क के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अपर संचालक (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
7. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र विंध्याचल भवन, भोपाल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Scanned by CamScanner

क./मु.क.प्याज.प्रो /

मध्यप्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 6-1/2018/58 **भोपाल, दिनांक 30.05.2019**

प्रति,

1. समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश

विषयः- **"मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना" के समेकित दिशा निर्देश।**

संदर्भ:- **म.प्र. शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2018/58 भोपाल, दिनांक 8/03/2019, 30/03/2019 एवं 25/5/2019**

संदर्भित परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2018/58 भोपाल दिनांक 30 मार्च 2019 एवं 25 मई 2019 को दिशा निर्देश जारी किये गये थे, को संशोधित करते हुये विस्तृत दोनों भागों के (कंडिका अ एवं ब) दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं।

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के किसानों को प्याज का उचित मूल्य दिलाने हेतु उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 6-1/2018/58 **भोपाल, दिनांक** 08 मार्च 2019 के द्वारा "मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन **योजना"** दो **भागों** (कंडिका अ एवं कंडिका ब) में लागू की गई है।

कंडिका (अ)

योजना अनुसार नोडल एजेंसी नाफेड द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुये राज्य के मार्केटिंग सहकारी संघ/कृषक उत्पादक संगठन/कृषक उत्पादक कंपनी/राज्य के उपक्रम/निजी संस्थाएं/संग्राहक (एग्रीग्रेटर्स), जो प्याज के परिवहन, भण्डारण एवं विपणन में कार्यरत् है, को इम्पैनल्ड किया जायेगा ।

इम्पैनल्ड संस्थाओं में से राज्य के मार्केटिंग सहकारी संघ/कृषक उत्पादक संगठन/कृषक उत्पादक कंपनी/राज्य के उपक्रम द्वारा योजना प्रावधान अनुसार अधिसूचित मंडियों में उपरोक्त समर्थन मूल्य पर क्रय कर परिवहन, भण्डारण एवं विपणन करने पर संस्थाओं को 100 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा । इस तरह राज्य के निजी संस्थाएं/संग्राहक (एग्रीग्रेटर्स) के द्वारा अधिसूचित मंडियों में उपरोक्त समर्थन मूल्य पर क्रय कर परिहवन, भण्डारण एवं विपणन करने पर संस्थाओं को 75 प्रतिषत अनुदान दिया जायेगा । उपरोक्त अनुदान में से आपरेशन ग्रीन्स योजना अंतर्गत संस्थाओं को 50 प्रतिशत अनुदान भी सम्मिलित है ।

उपरोक्त अनुदान सहायता रबी प्याज की फसल हेतु निर्धारित अवधि में किसानों से समर्थन मूल्य रू. 800/- प्रति क्विंटल अथवा उससे ऊपर क्रय कर राज्य से बाहर 250 किलोमीटर दूर परिवहन, भण्डारण एवं विपणन किये जाने पर ही देय होगी ।

कंडिका (ब)

प्रदेश की प्याज हेतु अधिसूचित मंडियों में प्याज का मॉडल विक्रय दर रबी प्याज की फसल हेतु निर्धारित अवधि में रू.

Scanned by CamScanner

800/- प्रति क्विंटल से कम रहता है तब उक्त स्थिति में अधिसूचित मंडियों में क्रय मूल्य एवं समर्थन मूल्य रू. 800/- प्रति क्विंटल के अंतर की राशि ई-उपार्जन पर पंजीकृत किसानों के द्वारा विक्रय करने वाले किसानों के बैंक खातों में सीधे अंतरित की जायेगी ।

योजना के अंतर्गत अधिसूचित मंडियों में उन्हीं किसानों से प्याज फसल की खरीदी की जायेगी, जो ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत होंगे ।

प्रदेश में वर्ष 2019-20 में रबी प्याज उत्पादक किसानों का ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन दिनांक 20 मई 2019 से 31 मई 2019 तक के निर्देश जारी किये गये थे, **जिसकी समय-सीमा बढाकर** (A2) **पंजीयन की अंतिम तिथि 07 जून 2019 निर्धारित की गई हैं । सुनिश्चित किया जावे कि योजना के भाग कंडिका अ को तत्काल प्रभाव से प्राथमिकता से किया जाये।**

1/ योजना में हितग्राही/प्याज उत्पादक किसान की अहर्ताएं निम्नानुसार होंगी:-

5.1 मध्य प्रदेश के मूल निवासी, किसान के नाम पर स्वयं की जमीन (बी-1, बी-2 में नाम होने एवं वन पट्टाधारी ही मान्य होगा। (सिकमी/अनुबंध/लीज के आधार पर किराये पर ली गई जमीन के दस्तावेज मान्य नहीं होंगे।)

5.1 योजना का लाभ 250 क्विण्टल प्रति हेक्टेयर की औसत उत्पादकता के आधार पर उत्पादन की सीमा तथा उत्पादन का रकबा अधिकतम 2.00 हेक्टेयर या जो भी कम हो तक प्रति कृषक ही अंतर की राशि देय होगा।

Scanned by CamScanner

2. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एन.आई.सी. के सहयोग से कृषकों को पंजीयन संबंधी जानकारी देने हेतु SMS करेंगा। उक्त कार्य पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति उद्यानिकी विभाग द्वारा योजना के प्रशासनिक मद से की जायेगी।

2.1 योजना अन्तर्गत कृषक पंजीयन के आवेदन फार्म के मुद्रण एवं सोसायटियों तक वितरण हेतु उपलब्ध कराने का कार्य मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन लिमिटेड एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा किया जायेगा।

2.2 सोसायटी में योजना के प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर लगवाने की व्यवस्था मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की जायेगी। उक्त कार्य पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रशासनिक मद से की जायेगी।

2.3 योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों द्वारा ई-उपार्जन पोर्टल पर प्याज के रोपित रकबे की जानकारी दर्ज करते हुये योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन किया जायेगा। उक्त कार्य खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंडी बोर्ड एवं एनआईसी के सहयोग से किया जायेगा। इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति उपरोक्त योजना में 2% प्रशासनिक मद की राशि से उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा की जाएगी। अधिसूचित मंडियों में मंडी बोर्ड द्वारा आउटसोर्स से योजना अन्तर्गत प्याज विक्रय उपज की जानकारी को पोर्टल पर इन्द्राज करने के लिये 5000 से कम पंजीयन वाली प्रति मण्डी में 01 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, 5000 से अधिक परन्तु 10000 से कम पंजीयन वाली प्रति मण्डी में 02 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स तथा

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

10000 से अधिक पंजीयन वाली प्रति मण्डी में 03 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स रखे जायेगें। डाटा एंट्री ओपरेटर के मानदेय के व्यय की प्रतिपूर्ति उद्यानिकी विभाग द्वारा मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना के प्रशासनिक मद से की जायेगी। अधिसूचित मण्डियों से अन्यत्र जिलों में योजनान्तर्गत पंजीयन का कार्य मण्डी के अमले द्वारा स्वयं किया जायेगा। 43

2.4 राजस्व विभाग द्वारा रबी 2018-19 की गिरदावरी पोर्टल के आधार पर किसानों द्वारा रोपित प्याज के रकबे की जानकारी ई-उपार्जन पोर्टल पर संधारित करने हेतु राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.), भोपाल को दी जावेगी।

2.5 किसान द्वारा मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना के लिये ई-उपार्जन पोर्टल पर दी गई जानकारी को राजस्व विभाग के गिरदावरी पोर्टल से फसल एवं रकबे का मिलान करके निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी:-

क) यदि किसान द्वारा फसल एवं रकबे की दी गई जानकारी का गिरदावरी पोर्टल में दर्ज जानकारी से मिलान होता है तब किसान का पंजीयन करा लिया जावेगा।

ख) यदि किसान द्वारा दी गई जानकारी में फसल की जानकारी सही पाई जाती है किन्तु रकबा गिरदावरी पोर्टल में दर्ज रकबे से कम है तब भी किसान का पंजीयन करा लिया जावेगा।

ग) यदि किसान द्वारा पंजीयन के समय फसल के संबंध में दी गई जानकारी का मिलान नहीं होता अथवा

घ) फसल का मिलान होता है किन्तु किसान द्वारा बताया जा रहा रकबा गिरदावरी पोर्टल में दर्ज रकबे से अधिक हो तब

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

ऐसी स्थिति में किसान की आपत्ति ई-उपार्जन पोर्टल पर दर्ज की जावेगी।

2.6 उपरोक्तानुसार किसान से प्राप्त आपत्ति ऑनलाइन राजस्व विभाग को प्रेषित की जायेगी तथा राजस्व विभाग द्वारा आपत्ति प्राप्त किये जाने पर सत्यापन कराया जायेगा। राजस्व अधिकारी द्वारा आपत्ति के निराकरण के पश्चात बताये अनुसार फसल एवं रकबे का पंजीयन मान्य किया जायेगा।

2.7 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 'ई-उपार्जन पोर्टल' से व्यवस्था बनाई जायेगी कि 'गिरदावरी' पोर्टल से real time sharing व्यवस्था बनाएं जिससे राजस्व विभाग को जानकारी में विसंगति होने से स्वमेंव परीक्षण एवं सत्यापन करने में सुविधा हो।

2.8 सत्यापन के उपरांत निर्धारित तिथि को ई-गिरदावरी की प्रविष्टियां अंतिम सूची मानी जायेगी एवं यही जानकारी 'ई-उपार्जन' के लिए भी मान्य होगी।

2.9 राज्य स्तर पर 'ई-उपार्जन पोर्टल' से पंजीकृत कृषक/खसरों की जानकारी का मिलान भू-अभिलेख डाटा से किया जायेगा।

2.10 योजना का लाभ केवल अधिसूचित मंडी में हुए संव्यवहारों पर ही होगा। वर्तमान में प्याज विक्रय मंडी अधिनियम के दायरे में शामिल नहीं होने से मंडी प्रांगण में बेचने की बाध्यता नहीं है। अतः केवल प्याज के लिए मंडी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर चिन्हित मंडियों में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में प्याज का विक्रय मंडी प्रांगण के अंदर किया जाना बंधनकारी बनाया जाएगा। मंडी बोर्ड व्दारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्याज की घोष विक्रय नीलामी चिन्हित मंडियों में नियमित रूप से हो। प्याज नश्वर प्रकृति का

Scanned by CamScanner

होने से और मंडी में विक्रय की अनिवार्यता लम्बे समय बाद पुनः लागू करने से प्याज पर लिए जाने वाला मंडी टैक्स 1.5% की जगह 1% ही रखा जाए।

2.11 योजना के अन्तर्गत अधिसूचित मण्डियों में उन्हीं किसानों से प्याज फसल की खरीदी की जायेगी, जो ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत होंगे।

2.12 पंजीकृत किसानों द्वारा मण्डी में प्याज के संव्यवहार पर विक्रय की राशि रूपये 10,000/- से अधिक होने पर भुगतान RTGS/NEFT अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी द्वारा किसान के बैंक खाते में किया जाना अनिवार्य होगा।

2.13 पंजीकृत किसान के द्वारा नियत अवधि में क्रय-विक्रय के अभिलेखों का परीक्षण तथा सत्यापन कर प्रमाणित जानकारी पोर्टल पर अपलोड किये जाने की जिम्मेदारी कृषि उपज मंडी समिति के सचिव तथा संबंधित कर्मचारियों की होगी।

2.14 प्रत्येक अधिसूचित मंडी प्रांगण में योजना के पंजीकृत किसान द्वारा प्याज विक्रय पर योजना के प्रावधानों के अधीन लाभ प्राप्त होने संबंधी प्रमाण पत्र किसान को उपलब्ध कराया जावेगा।

2.15 योजनांतर्गत किसान अधिसूचित फसल को प्रदेश की योजना हेतु किसी भी अधिसूचित मंडी/उपमंडी/प्रांगण में विक्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा, परन्तु किसानों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान उसी जिले से किया जायेगा, जिस जिले में उसका पंजीयन है।

3/ विभागीय आदेश दिनांक 8 मार्च 2019 की कंडिका-अ के अनुसार आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:-

3.1 दिनांक 8 मार्च 2019 को जारी आदेशानुसार **कंडिका-अ** अनुसार नोडल एजेंसी नाफेड द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुये राज्य

Scanned by CamScanner

के मार्केटिंग सहकारी संघ/कृषक उत्पादक संगठन/कृषक उत्पादक कंपनी/राज्य के उपक्रम/निजी संस्थाएं/संग्राहक (एग्रीगेटर्स), जो प्याज के परिवहन एवं भण्डारण में कार्यरत हैं, को एम्पैनलड् किया जायेगा। नाफेड द्वारा मार्कफेड को मध्यप्रदेश हेतु नोडल एजेन्सी बनाया गया है।

3.2 राज्य सरकार के एम्पैनल्ड उपक्रमों को परिवहन एवं भण्डारण करने पर योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। राज्य के निजी संस्थाएं/संग्राहक (एग्रीगेटर्स) के द्वारा अधिसूचित मंडियों मैं उपरोक्त समर्थन मूल्य या उससे अधिक मूल्य पर क्रय कर परिवहन एवं भण्डारण करने पर संस्थाओं को 25 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

3.3 मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) के द्वारा अपनी सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों के उत्पादों का संग्रहण ई-उपार्जन पोर्टल के माध्यम से कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश मण्डियों के लाइसेंसीधारी व्यापारियों एंव किसानो के मध्य संव्यवहार संपादित कराया जायेगा।

3.4 उपरोक्त अनुदान के साथ-साथ MOFPI भारत सरकार, नई दिल्ली के ऑपरेशन ग्रीन्स योजना अन्तर्गत संबंधित संस्थाओं को 50 प्रतिशत अनुदान भी देय होगा।

3.5 नाफेड के द्वारा अन्य राज्यों में पहुंचने वाले प्याज का भण्डारण एवं मण्डियों में विक्रय का सत्यापन किया जावेगा। उसके आधार पर मार्कफेड़ द्वारा देयकों की अनुशंसा नाफेड एवं उद्यानिकी संचालनालय को भेजी जायेगी।

3.6 प्रदेश की अधिसूचित मण्डियों से वर्ष 2019-20 की रबी प्याज फसल की खरीदी समर्थन मूल्य रू.800 प्रति क्विण्टल या उससे

Scanned by CamScanner

अधिक दर पर की जाती है और खरीदी गई प्याज को प्रदेश के बाहर 250 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी पर परिवहन एवं भण्डारण करने पर भारत सरकार द्वारा 50 प्रतिशत एवं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यपदेश शासन द्वारा "मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना" अन्तर्गत 25 एवं 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा। इस प्रकार कुल अनुदान 75 एवं 100 प्रतिशत दिया जायेगा। योजना के दिशा-निर्देश अनुसार परिवहन की उच्चतम दर रु. 2.84/मी.टन/कि.मी. निर्धारित की गई है।

3.7 चयनित पी.आई.ए./एम्पैनल्ड संस्थाओं को उसके क्षेत्रान्तर्गत किसानों को एस.एम.एस. भेजने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एस.एम.एस. का प्रारूप (प्रपत्र भाग-I) निम्न प्रकार से रहेगा :-

1. व्यापारी का नाम
2. प्याज क्रय किये जाने का सप्ताह
3. संग्रहण केन्द्र/अधिसूचित मंडी का नाम
4. व्यापारी का ऑफर रेट (ऑफर रेट रू. 8/- प्रति किलो से कम नही होना चाहिए)

3.8 नाफेड के माध्यम से सब्सिडी प्रपत्र (भाग-II) एम्पैनल्ड संस्था से प्राप्त किया जाएगा, जिसका प्रारूप निम्नानुसार है:-

1. क्रय मात्रा
2. ऑफर दर
3. किसानों की संख्या जिनसे क्रय किया गया
4. विक्रय करने का स्थान या भंडारण करने का स्थान (राज्य के बाहर 250 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी होने पर ही क्लेम की पात्रता होगी)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

5. व्यापारी द्वारा जारी परिवहन कार्यादेश
6. ट्रक नंबर (किसी कारण से कार्यादेश अनुसार ट्रक नंबर में परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तित ट्रक नंबर की सूचना पी.आई.ए. को देना आवश्यक होगा)

उक्त प्रपत्र में उसके द्वारा किस दर पर उत्पाद विक्रय किया गया या किस स्थान पर उत्पाद भण्डारित किया गया, का उल्लेख किया जाएगा। नाफेड द्वारा सत्यापित प्रपत्र भाग-II की जानकारी से मार्कफेड द्वारा संकलित प्रपत्र भाग-I की जानकारी का सत्यापन करने के पश्चात व्यापारी सब्सिडी क्लेम कर सकता है।

3.9 जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान द्वारा TOP स्कीम गाइडलाईन दिनांक 10.01.2019 में जारी संलग्न एनेक्चर II, III, IV, V अनुसार एफ.पी.ओ. का चयन पी.आई.ए. के रूप में किया जावेगा।

3.10 मण्डी/उप मण्डी के सचिव अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को उक्त योजना की जानकारी प्रेषित करेंगे।

3.11 मण्डी द्वारा किसान एवं व्यापारी का प्याज क्रय-विक्रय को ऑन लाईन संव्यवहार (ट्रान्जेक्सन) के रूप में दर्ज कराया जाए। (व्यापारी ऑन लाईन जारी अनुज्ञा पत्र के आधार पर ही परिवहन एवं भंडारण सब्सिडी प्राप्त कर सकेगा।)

4/ विभागीय आदेश दिनांक 8 मार्च 2019 की कंडिका-ब के अनुसार आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:-

4.1 दिनांक 01 जून से 30 जून तक पूरे प्रदेश की अधिसूचित मंडियों में रूपये 800/- प्रति क्विण्टल से कम विक्रय मूल्य प्राप्त होने पर योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि निर्धारित की जायेगी।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

4.2 इस योजना के **घटक (ब)** में योजना के घटक (अ) अनुसार हस्तक्षेप के बावजूद, प्रदेश की प्याज हेतु अधिसूचित मंडियों में प्याज का मॉडल विक्रय दर रबी प्याज की फसल हेतु निर्धारित अवधि में रू.800/- प्रति क्विण्टल से कम रहता है तब उक्त स्थिति में अधिसूचित मंडियों में किसान द्वारा प्याज विक्रय दर एवं समर्थन मूल्य (रू.800/- प्रति क्विण्टल) के अंतर की राशि ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के द्वारा विक्रय करने पर बैंक खातों में सीधे अंतरित की जायेगी।

4.3 योजना के लिये चयनित मंडियों में उद्यानिकी विभाग का एक नोडल अधिकारी अवधि में पदस्थ रहेगा। जिसके द्वारा संबंधित प्रांगण में पंजीकृत किसानों की प्याज की भौतिक आवक एवं विक्रय संव्यवहारों का पर्यवेक्षण तथा सत्यापन किया जायेगा।

4.4 जिले में समिति 31 मई 2019 के पूर्व एक बैठक आयोजित कर योजना के क्रियान्वयन हेतु की गई तैयारी की समीक्षा करेगी। इसके पश्चात योजना की अवधि में आवश्यकतानुसार बैठकों का आयोजन करेगी। उक्त समिति के मार्गदर्शन में प्रत्येक लाभांवित किसान के पंजीयन के समय दर्ज बैंक खाता क्रमांक की सूची पर मैदानी अमले के सत्यापन की गहन समीक्षा की जायेगी। योजना के तहत प्याज के लिये प्राप्त आवंटन जिला कोषालय से RTGS/NEFT के माध्यम से लाभांवित किसानों के (एक रूपये राशि स्थानांतरण उपरांत) सत्यापित किये गये बैंक खातों में योजना के प्रावधान अनुसार राशि जमा करायी जाने की भी उक्त समिति द्वारा गहन परीक्षण, समीक्षा एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा। पंजीकृत किसानों के खाते के सत्यापन हेतु भुगतान किये गये रू.1 का समायोजन कृषक को भुगतान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि से किया जायेगा। पात्र पंजीकृत किसानों को

Scanned by CamScanner

सत्यापित बैंक खाते में भुगतान असफल हो जाने पर या बैंक खातों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में उक्त समिति स्थानीय जांच कराने तथा जांच उपरांत 15 दिवस में निर्णय कर संबंधित हितग्राही किसान के नवीन प्रमाणीकृत बैंक खातों में योजना के प्रावधानों के अनुसार राशि प्रदाय करने हेतु अधिकृत होगी।

4.5 जिले के लीड बैंक के अधिकारी RTGS/NEFT के माध्यम से प्रदाय राशि समस्त लाभांवित किसानों के बैंक खाते में पहुंचने की पुष्टि की जानकारी संबंधित बैंक शाखाओं से प्राप्त करेंगे। पंजीकृत किसानों के द्वारा पोर्टल पर दर्ज कराये गये मोबाईल नंबर पर योजनांतर्गत जमा कराई गई प्रोत्साहन राशि का SMS लाभांवित किसानों को आवश्यक रूप से भेजा जायेगा। बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि प्रदाय हो जो के बाद जिला कलेक्टर द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल को प्रेषित किया जायेगा।

पंजीकृत किसानों द्वारा अधिसूचित मंडियों में विक्रय किये गये प्याज की मात्रा को पात्रता की सीमा तक गणना कर किसानवार प्रोत्साहन राशि का पृथक डाटाबेस तैयार किया जायेगा। जिसके आधार पर आयुक्त सह संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी से योजनांतर्गत आवंटन हेतु मांग पत्र संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा प्रेषित किया जायेगा तथा उसकी प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं प्रबंध संचालक, राज्य कृषि विपणन बोर्ड को उपलब्ध कराई जायेगी। आयुक्त सह संचालक उद्यानिकी द्वारा मांग पत्र अनुसार आवंटन जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान को जारी करेंगे। प्राप्त आवंटन में से उक्तानुसार गणना की गई राशि लाभांवित पंजीकृत

Scanned by CamScanner

किसान के सत्यापित एवं पुष्टि कराये गये बैंक खातें में जमा कराई जायेगी। उप/सहायक संचालक उद्यान प्राप्त आवंटन का उपयोग जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित क्रियान्वयन समिति के द्वारा प्रस्ताव पारित किये जाने के उपरांत ही लाभांवित किसानों के बैंक खातों में भुगतान किया जायेगा।

5. मंडियों में होने वाले संव्यवहार के सम्बन्ध में दिशा निर्देश :-

5.1 योजना का लाभ मध्यप्रदेश राज्य की सीमा में अधिसूचित मण्डी परिसर में राज्य में उत्पादित प्याज के विक्रय पर ही देय होगा।

5.2 राज्य शासन के द्वारा योजना का लाभ प्रदान करने हेतु प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगणों को अधिसूचित किया जायेगा एवं इसकी जानकारी सर्वसाधारण को प्रदान की जायेगी।

5.3 निर्धारित कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में मंडी समिति के द्वारा उप विधियों के प्रावधान के अनुसार विधिवत् विक्रय संपन्न कराया जायेगा।

5.4 कृषक को पोर्टल पर पंजीयन कराने पर पंजीयन रसीद तथा आधार कार्ड की प्रति मण्डी समिति में विक्रय के समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5.5 अधिसूचित प्रांगण में विक्रय की कार्यवाही CCTV कैमरे में दर्ज की जायेगी। जहाँ CCTV कैमरे नहीं होंगे वहाँ मण्डी समिति द्वारा विक्रय के समय उपस्थित किसान की फसल के साथ फोटो लिया जायेगा तथा इसे मण्डी समिति में सुरक्षित रखा जायेगा।

5.6 कृषि उपज मंडी समिति के नामांकित कर्मचारी/अधिकारी के द्वारा नीलामी विक्रय उपरान्त जारी किये जाने वाले प्रवेश पर्ची,

Scanned by CamScanner

अनुबंध पर्ची, तौल पर्ची एवं भुगतान पत्रक में किसान के पंजीयन क्रमांक को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। मण्डी समिति उक्त अभिलेखों की मूल प्रतिलिपि पर किसान पंजीयन क्रमांक उल्लेखित कर सुरक्षित रखेगी।

5.7 सौदा पत्रक के माध्यम से विक्रय की गई प्याज योजना में मान्य नहीं होगी।

6/ योजनाओं के सतत् क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर समन्वय समिति गठित की जाती है:-

6.1 राज्य स्तरीय समन्वय समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे :-

क्र.	समन्वय समिति के अधिकारी	पदाधिकारी
1	प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास	सदस्य
3	आयुक्त उद्यानिकी	सदस्य
4	संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	सदस्य
5	प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड	सदस्य
6	प्रबंध संचालक, मार्कफेड	सदस्य
7	संचालक NIC	सदस्य

6.2 योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय स्तर के अधिकारियों की जिला क्रय समिति का गठन किया जावे जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

क्र.	समन्वय समिति के अधिकारी	पदाधिकारी
1	उप संचालक, उद्यानिकी	सदस्य
2	उप पंजीयक, सहकारिता	सदस्य

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

3	जिला खाद्य अधिकारी	सदस्य
4	जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम	सदस्य
5	उप संचालक कृषि	सदस्य
6	जिला मुख्यालय का मण्डी सचिव	सदस्य
7	जिला विपणन अधिकारी, मार्कफेड	सदस्य
8	जिला लीड बैंक अधिकारी	सदस्य

6.3 योजना के लिये चयनित मण्डियों में उद्यानिकी विभाग का एक नोडल अधिकारी योजना अवधि में पदस्थ रहेगा। जिसके द्वारा संबंधित प्रांगण में पंजीकृत किसानों की प्याज की भौतिक आवक एवं विक्रय संव्यवहारों का पर्यवेक्षण तथा सत्यापन किया जायेगा। योजना के प्रचार-प्रसार हेतु पैम्पलेट तथा फ्लेक्स आदि पर व्यय, RTGS/NEFT से भुगतान पर व्यय, मोबाईल SMS पर व्यय, योजना क्रियान्वयन हेतु ऑपरेटर्स को देय मानदेय, योजना के प्रमाण पत्र मुद्रण पर व्यय, प्रमाण-पत्र वितरण आदि पर व्यय योजना के 2 प्रतिशत प्रशासकीय मद से की जायेगी।

"यह दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे"

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

Scanned by CamScanner

. क्रमांक एफ 6-1/2018/58

प्रतिलिपिः- भोपाल, दिनांक ....

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग।
3. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास/ सहकारिता/खाद्य एवं नागरिक उपभोक्ता संरक्षण विभाग/राजस्व भोपाल।
7. आयुक्त, भू अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. आयुक्त सह संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम/मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड), मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन लिमिटेड, मध्यप्रदेश, भोपाल।
12. आयुक्त, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
13. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मण्डी बोर्ड), मध्यप्रदेश भोपाल।
14. श्री .... वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मध्यप्रदेश भोपाल।
15. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान मध्यप्रदेश।
16. गार्ड फाइल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

Scanned by CamScanner